प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला : भ्र. नि. ब्यूरों इन्टे.उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी, जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.सं. .....446/2022..... दिनांक .....19/11/2022.....

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट धारायें – 7, पीसी एक्ट (संशोधित) 2018
(ii) अधिनियम – धारायें –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....327..... समय ...5:10 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन व समय : शुक्रवार दिनांक 18–11–22 समय 12.27 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 9–11–22

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल : पटवार मण्डल सविना जिला उदयपुर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : दक्षिण दिशा, करीब 8 किमी.
(ब) पता : पटवार मण्डल सवीना जिला उदयपुर
.....–..... बीट संख्या .....–.....जरायमदेही सं...
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....–..... जिला .....–.....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्री दीपक लौहार
(ब) पिता का नाम : – श्री पुष्करलाल
(स) जन्म तिथि/वर्ष : – उम्र 32 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .....–..... जारी होने की तिथि .....–.....
जारी होने की जगह .....–.....
(र) व्यवसाय :– प्राईवेट कन्स्ट्रक्शन कार्य
(ल) पता : – गांव लकडवास तहसील गिर्वा थाना प्रतापनगर जिला उदयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्रीमती अभिलाषा जैन पत्नी श्री धीरज भण्डारी उम्र 44 साल निवासी 804, आठवीं मंजील आर्बिट कोम्प्लेक्स, न्यू भुपालपुरा जिला उदयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल सविना जिला उदयपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा 5,000/– रूपये, आरोपीया के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगकर ग्रहण करना।		

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 5,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय जी

निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक 9–11–2022 समय करीबन 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री दीपक लौहार ने ब्यूरो इकाई उदयपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत कि की ''मैं दीपक लौहार पिता पुष्कर लौहार निवासी लकड़वास, उदयपुर का रहने वाला हूँ, मेरा निवेदन इस प्रकार है कि मेरी माताजी श्रीमती नर्बदा देवी लौहार पिता नंदलाल लौहार निवासी राजस्व ग्राम सवीना, पटवार मण्डल सवीना, तहसील गिर्वा, उदयपुर (पीहर) के आराजी नंबर 558 से 562 व 4258/557 स्थित है। उक्त आराजी नंबर की कृशि भूमि माताजी की पैतृक संपत्ति है जिसमें खातेदारों के मध्य विधिवत् बंटवाड़ा नहीं हुआ है। मेरी माताजी एवं उनके भाईयों के मध्य इस भूमि को लेकर विवाद हो स्टे लगा हुआ है। उक्त भूमि पर स्टे के बावजूद मेरी माताजी के भाईयों ने निर्माण कार्य करवा दिया, इस हेतु मैंने तहसीलदार सा0 गिर्वा को एक षिकायत दी जिस पर तहसीलदार सा0 ने मुझे उक्त एरिया सविना की पटवारीजी से मिलने को कहा तो मैं कल दिनांक 14.11.2022 को सविना पटवार मण्डल जाकर वहाँ पर मौजूद महिला को पटवारीजी के बारे में पूछा तो महिला ने बताया कि मैं ही पटवारी हूँ जिस पर मैंने उनको पूरे हालात बताये एवं मेरी शिकायत पर कार्यवाही करने हेतु कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि मौका रिपोर्ट की कार्यवाही तो मैं कर दूंगी, इसके लिये तुम्हे 20,000 रूपये देने पड़ेंगें तो मैंने उनको रूपयों की व्यवस्था करके आने का कहा है। मैं महिला पटवारी को मेरे जायज काम करने के बदले 20,000 रूपये रिष्वत में नहीं देना चाहॅता हूँ एवं उनको रिष्वत लेते हुए रंगें हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी पटवारीजी से कोई आपसी रंजिष या लेन देन या उधारी बाकियात् नहीं है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करावें। रिपोर्ट का मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया तो मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री दीपक लौहार से मजिद पूछताछ की गई तो परिवादी ने उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट की ताईद करते हुए बताया कि मैं आज दिनांक 9.11.2022 को पटवार मण्डल सवीना गया जहां पटवारी जी नहीं मिलने से एवं पटवारी जी का तहसील गिर्वा में जाना ज्ञात आने से मैं तहसील कार्यालय गिर्वा गया था जहां पर पटवारी जी श्रीमती अभिलाषा भंडारी से मैं मिला तो उनको मेरी तहसील कार्यालय से मौका रिपोर्ट करने की कार्यवाही के बारे में बात कि तो उन्होंने मुझे कहा की मैं मौका देखकर आपके पक्ष में मौका रिपोर्ट तैयार कर दूंगी। आपको मुझे खर्चा–पानी के 20,000/– रूपये देने पडेंगें।'' इसके बाद मैं वहां से अपने घर चला गया एवं मेरी माताजी को यह बात बताई तो मेरी माताजी ने कहा कि मेरे पास पटवारी को देने के लिये पैसे नहीं है, तु जाने और तेरा काम मैं एक दो दिन वकील साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि तु जाने और पटवारी, पटवारी जी से तेरे पक्ष में रिपोर्ट तो तैयार करवानी पडेगी। फिर मैं आज आपके कार्यालय में पटवारी जी के खिलाफ रिश्वत मांगने कि रिपोर्ट लेकर आया हुं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के मंतव्य से अवगत कराते हुए रिश्वती राशि मांग सत्यापन के बारे में पुछा गया तो परिवादी द्वारा बताया कि पटवारी जी महिला है जो मेरा फोन तो उठा लेगी, लेकिन रिश्वत की बात फोन पर नहीं करेगी। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय अलमारी में रखा डिजिटल टेप रिकार्डर निकाल कर डिजिटल टेप रिकार्डर के रख रखाव एवं इसके संचालन की विधि परिवादी दीपक लौहार को भलीभांति समझायी गई एवं श्री अजय कुमार कानि. 456 को तलब कर परिवादी श्री दीपक लोहार से आपस में परिचय करवाया गया एवं ब्यूरो इकाई उदयपुर से एक नया मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकार्डर में डाल गया एवं श्री अजय कुमार कानि. को परिवादी के मोबाईल नं. दिये गये एवं हिदायत दी कि कल दिनांक– 10–11–22 को परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी के साथ रिश्वती राशि मांग सत्यापन कराने हेतु हिदायत दी गई। दिनांक 10–11–2022 को मन् पुलिस उप अधीक्षक को श्री अजय कुमार कानि. द्वारा ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि मैं श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी से सम्पर्क कर सुबह करीबन 10.10 एएम पर परिवादी के साथ पटवार मण्डल सवीना पहुंचा जहां पर परिवादी श्री दीपक लौहार द्वारा पटवार मण्डल में जाकर पटवारी के बारे में मालूमात की तो पटवारी उपस्थित नहीं थी फिर मैंने समय करीबन 11.00 से 11.30 के मध्य दो बार बात करने हेतु कॉल भी करवाया किन्तु पटवारी

ने पहले तो फोन रिसीव नहीं किया एवं बाद में फोन स्वीच ऑफ कर दिया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री अजय कुमार कानि. को डिजीटल टेप रिकार्डर अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया एवं अग्रिम मांग सत्यापन वार्ता हेतु निर्देशित किया जिस पर दिनांक 11–11–2022 को श्री अजय कुमार कानि. द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि आज सुबह परिवादी ने मुझे बताया कि पटवारी जी का मिस कॉल आया जिस पर मैं ब्यूरो इकाई से डिजीटल टेप रिकार्डर लेकर परिवादी दीपक लौहार से सम्पर्क किया तो उसने मुझे बताया कि मेरे पास सुबह करीबन 10.43 एएम पर मीस कॉल आया जिस पर मेरे द्वारा समय करीबन 11.05 एएम पर परिवादी को पटवारी को फोन करने का कहा तो पटवारी जी ने परिवादी को पटवार मण्डल पर बुलाया फिर मैं व परिवादी पटवार मण्डल पहुंचे तो पटवारी जी वहां नहीं मिले। फिर मैंने व परिवादी दीपक लौहार ने पटवारी के आने का इन्तजार किया। काफी समय तक नहीं आने एवं कॉल कराने पर शंका हो जाने से कॉल नहीं कराया और परिवादी दीपक लौहार को पटवारी का कॉल आने पर तुरन्त सम्पर्क करने की हिदायत देकर उसको वहीं से रवाना कर मैं कार्यालय आया हूं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री अजय कुमार कानि. को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत दी गई । तत्पश्चात दिनांक 12–11–2022 समय करीबन 02.00 पीएम पर श्री अजय कुमार कानि. द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि ''आज समय करीबन 10.50 एएम पर परिवादी श्री दीपक लौहार के पास पटवारी का कॉल आया और उसे पटवार मण्डल पर बुलाया तो मैंने परिवादी को पटवार मण्डल सवीना पर मिलने हेतु कहा गया फिर समय करीबन 12.15 हम दोनो पटवार मण्डल सवीना पहुंचे जहां पर पटवारी जी उपस्थित नहीं थे तो मैने समय करीबन 12.26 पीएम व 12.27 पीएम पर परिवादी के मोबाईल से पटवारी के मोबाईल पर कॉल करवाया तो पहले तो पटवारी जी ने कॉल नहीं उठाया और बाद में कहा कि मैं काम से बाहर हूं । जिस पर मेरे द्वारा परिवादी दीपक लौहार को हिदायत दी कि पटवारी का कॉल आते ही मुझसे सम्पर्क करें एवं परिवादी को वहीं से रूखसत दी गई। मैं कार्यालय में आया और डिजीटल टेप रिकार्डर अलमारी में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात दिनांक 14–11–2022 समय 05.10 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक को श्री अजय कुमार कानि. द्वारा अवगत कराया गया कि आज समय करीबन 12.21 पीएम पर पटवारी का कॉल परिवादी के पास आया तो परिवादी ने पटवारी को हॉस्पीटल का कार्य होने से कल दिनांक 15–11–22 को मिलने हेतु कहा गया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री अजय कुमार कानि. को रिश्वती राशि मांग सत्यापन बाबत् आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 15–11–2022 समय 11.40 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री अजय कुमार कानि. को परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने हेतु मय डिजीटल टेप रिकार्डर के मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक को कल दिनांक 16.11. 2022 को जयपुर दीगर प्रकरण के अभियोजन स्वीकृति के क्रम में सचिवालय द्वारा तलब किया जाने से मन् पुलिस उप अधीक्षक जयपुर के लिये रवाना हो रहा हुं अग्रिम कार्यवाही मांग सत्यापन वार्ता अनुसार कि जायेगी। ततपश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक दिनांक 16–11–22 को जयपुर आवश्यक राजकार्य एवं दिनांक 17–11–22 को चितौडगढ शहादत में होने से दिनांक 18–11–22 को ब्यूरो इकाई पर समय 09.00 एएम कार्यालय पहुंचा होने पर श्री अजय कुमार कानि. द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया गया कि दिनांक 15.11.2022 को मैं कार्यालय से डिजीटल टेप रिकार्डर लेकर समय 12.00 पीएम पर मैं व परिवादी श्री दीपक लोहार रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय से रवाना होकर पटवार मण्डल सवीना पर समय करीबन 12.20 पीएम पर पहुंचे जहां पर पटवारी जी के नहीं मिलने से मेरे द्वारा कहने पर परिवादी ने फोन पर पटवारी जी की लोकेशन पता करने हेतु कहने पर मेरे द्वारा परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर ऑन कर परिवादी के मोबाइल नम्बर 7014716282 से पटवारी जी के मोबाइल नम्बर 9414295347 पर स्पीकर ऑन करा वार्ता कराई गई जो डिजीटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड की गई वार्ता अनुसार पटवारी का लोकेशन जोगी तालाब होने से मै और परिवादी पटवार मण्डल से रवाना हो सवीना पुलिस थाना के नीचे से निकलने वाले हाइवे पर स्थित चाय की होटल पर पटवारी के आने के इन्तजार में रहे। फिर समय करीबन 02.48 पीएम पर परिवादी के मोबाइल नम्बर 7014716282 पर पटवारी के मोबाइल नम्बर 9414295347 से कॉल आने पर मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर वार्ता को

रिकॉर्ड किया। वार्ता अनुसार पटवारी जोगी तालाब से रवाना होने पर परिवादी को पटवार मण्डल सवीना पर बुलाया। जिस पर मैने समय करीबन 02.50 पीएम पर डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी को पटवारी से की जाने वाली रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु हिदायत के पटवार मण्डल सवीना की ओर रवाना कर मै भी पीछे पीछे रवाना पटवार मण्डल सवीना के पास अपनी उपस्थिती छिपाये खडा रहा था परिवादी ने पटवार मण्डल सवीना के अन्दर प्रवेश किया फिर कुछ देर बाद परिवादी मेरे पास आया और टेप रिकॉर्डर बंद कर मुझे संभलाया और कहा की मैने पटवारी जी से बात की और पटवारी जी को थोडा कम करने एवं दस हजार रूपये ही देने के लिये बात पक्की की फिर पांच हजार रूपये मेरी जेब में थे जो दे दिये बाकी के पांच हजार रूपये कल परसों मेरी माताजी के साईन करा कर देने की बात हुई। जिस पर मेरे द्वारा आपके निर्देशानुसार परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर पटवार मण्डल से ही रवाना कर मैं भी वहां से रवाना हो समय करीबन 03.40 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहुंच डिजिटल टेप रिकॉर्डर को निर्देशानुसार कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा एवं दिनांक 16.11.2022 को परिवादी का फोन मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि मेरे पुत्र की तबीयत खराब होने से मै हॉस्पीटल में हुं और मेरे पास अभी कुछ देर पहले पटवारी मैडम के सहायक का फोन आया तो मैने उठाया नहीं फिर थोडी देर बाद पटवारी मैडम का फोन आया था तो मैने कहा की मेरे बच्चे की तबीयत खराब है मै कल या परसो आता हुं। मैने परिवादी को आज दिनांक 18–11–22 को 09.00 एएम तक कार्यालय में मय रिश्वत में दी जाने वाली राशि के साथ उपस्थित होने हेतु कहा है। फिर समय 09.20 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री अजय कुमार कानि. से कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा डिजिटल टेप रिकार्डर मंगवाया जाकर डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वती राशि की मांग की पुष्टि हुई। चुंकि अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित किया जाना आवश्यक होने से एवं ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतत्र गवाह की आवश्यकता होने से एक तहरीर अतिरिक्त निदेशक खान एवं भूविज्ञान विज्ञान उदयपुर के नाम मुर्तिब की जाकर कानि. श्री विकास कुमार को रवाना किया।जिस पर समय 09.25 एएम पर पूर्व पाबंदशुदा परिवादी श्री दीपक लोहार कार्यालय में उपस्थित हुआ जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकोर्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के बारे में पूछा गया तो परिवादी द्वारा एक वार्ता स्वयं की एवं दूसरी आवाज जो कि महिला की आवाज है वो पटवारी श्रीमाती अभिलाषा की होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक परिवादी को कार्यालय में एक साईड बिठाया गया एवं समय 09.30 एएम पर विकास कानि. मय दो स्वतत्र गवाहान के हाजिर कार्यालय आया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थित गवाहान से परिचय पूछा गया तो हर दोनों ने अपना परिचय क्रमश श्री अमरदीप नागदा पिता स्व. श्री डालचन्द नागदा उम्र 42 साल निवासी मकान नं. 204, गणेश नगर पायडा, जैन मन्दिर के पास पुलिस थाना प्रतापनगर जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर एवं श्री ललित सिंह पिता मानसिंह गौड़ उम्र 31 वर्ष जाति राजपूत निवासी मकान न. बोहरा गणेश जी मेन रोड पुलिस थाना प्रतापनगर जिला उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान को आयोजित होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वंतत्र गवाहन उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही जाने पर हर दोनों गवाहन ने अपनी अपनी स्वीकृति दी। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय में बैठे परिवादी श्री दिपक लौहार का स्वतत्र गवाह से आपस मे परिचय करावाया गया एवं परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट स्वतत्र गवाहान के समक्ष पढ कर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं द्वारा टाईप करवा कर लाना एवं स्वयं के हस्ताक्षर होने एवं रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होने की ताईद की। रिपोर्ट पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तायें जो दिनांक 15.11.2022 समय करीबन 2.48 पीएम व 02.50 पीएम पर हुई थीं, को चलाकर सुना गया तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष परिवादी के द्वारा वार्ता में रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की पुष्टि की। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री विकास कुमार कानि. से स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष डिजीटल टेप रिकार्ड में दिनांक 15–11–2022 को परिवादी एवं आरोपी पटवारी के मध्य हुई वार्ता समय करीबन 2.48 पीएम व 2.50 पीएम जिसे ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कि थीं को पृथक–पृथक चलाई जाकर वार्ताओं की फर्द

ट्रान्सक्रिप्टें पृथक–पृथक मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष कानि. श्री विकास कुमार से ही कार्यालय लेप–टोप से कनेक्ट कराया जाकर वार्ताओं की मूल एवं डब सीडीयां पृथक–पृथक तैयार करायी गयीं। मूल एवं डब सीडीयों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडीयों को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडीयों को सीडी कवरों में सुरक्षित रखा गया। थाना भुपालपुरा जिला उदयपुर से जरिये तलब शुदा महिला कानि. रेणुका उपस्थित कार्यालय आई जिसे कार्यालय में ही बैठाया गया। समय करीबन 11.00 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में भ्रनिब्यूरो उदयपुर से ट्रेप बॉक्स मय सोडियम कार्बोनेट पाउडर टीकाराम कानि. से तलब किया जाने पर टीकाराम कानि. द्वारा ट्रेप बॉक्स मन् पुलिस उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया जिस पर ट्रेप बॉक्स को कानि. विकास कुमार को सुपुर्द किया एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री टिकाराम कानि. ब्यूरो इकाई उदयपुर से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि लेकर आने के निर्देश दिये जाने पर श्री टीकाराम कानि मय ब्यूरो इकाई उदयपुर से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि के उपस्थित आया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थित गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दीपक लोहार को आरोपीया श्रीमती अभिलाषा जैन पटवारी पटवार मण्डल सवीना उदयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5000 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय टेबल पर दो अखबार बिछाकर अखबार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर टीकाराम कानि. से लगवाया जाकर नोटो को परिवादी की पहनी हुई शर्ट के उपर बायीं जेब में कुछ न रहते हुए रखवाई गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष श्री अजय कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कॉच का गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो गोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में टीकाराम कानि. के हाथों की उंगूलियों व अंगुठे जिस पर फिनोफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त कार्यावाही की फर्द पेशकसी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टांत सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से बनाई जाकर सम्बंधीतों के हस्ताक्षर करवाये गये । समय 11.50 एएम मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर चालु कर परिवादी श्री दीपक लौहार के मोबाईल नम्बर 7014716282 का स्पीकर ऑन करा आरोपिया पटवारी के मोबाइल नम्बर 9414295347 पर समय करीबन 11.43 एएम पर वार्ता कराई गयी जिसे रिकार्ड की गई। रिकार्ड वार्ता को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चला कर सुना गया तो आरोपिया पटवारी द्वारा परिवादी को पटवार मण्डल पर बुलाया गया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री ललित सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्री अमरदीप नागदा कनिष्ठ सहायक, गजेन्द्र कुमार सउनि, रेणूका म.कानि, विकास कुमार कानि. मय ट्रेप बॉक्स, मय कम्प्युटर प्रिन्टर आदि संसाधन के निजी कार से रवाना होने से पहले परिवादी दीपक लोहार को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वती राशि लेन देन वक्त की वार्ता रिकार्ड करने की हिदायत के सुपूर्द कर श्री अजय कुमार कानि. को परिवादी के साथ परिवादी की निजी कार से पटवार मण्डल सवीना के आसपास रिश्वती राशि स्वीकारोति के निर्धारित ईशारे से मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराने की हिदायत के रवाना पटवार मण्डल किया जा कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पीछे–पीछे समय करीबन 12.05 पीएम पर रवाना हुआ। समय करीबन 12.15 पीएम पर पटवार मण्डल सवीना के कुछ पहले पहुंच परिवादी श्री दीपक लौहार को रोककर परिवादी को रिश्वती राशि दे चुकने के बाद बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक या श्री अजय कुमार कानि. के मोबाईल पर मिस कॉल करने

का निर्धारित ईशारा करने एवं परिवादी से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर चालु करवा पटवार मण्डल की ओर रवाना करते हुए महिला कानि. रेणूका को परिवादी के मामा की लडकी माध्वी के डमी नाम से आवश्यक हिदायत के परिवादी के साथ रवाना किया गया एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा निजी वाहन को एक ओर सुरक्षित खडा किया गया एवं श्री गजेन्द्र कुमार सउनि, श्री अजय कुमार कानि, श्री विकास कुमार कानि. को पटवार मण्डल के आस-पास रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता सुनने व देखने का प्रयास करने एवं रिश्वती राशि का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक/ट्रेप पार्टी के सदस्यगण को अवगत कराने के निर्देश दिये एव मन् पुलिस उप अधीक्षक मय मय स्वतंत्र गवाहान श्री ललित सिंह वरिष्ठ एवं श्री अमरदीप नागदा कनिष्ठ सहायक परिवादी के निर्धारित ईशारे में पटवार मण्डल के पास परिवादी के रिश्वती राशि स्वीकारोक्ती के निर्धारित ईशारे में खडे रहे कि समय करीबन 12.27 पीएम पर परिवादी श्री दीपक लौहार द्वारा रिश्वती राशि स्वीकारोक्ती का पूर्व निर्धारित ईशारा श्री अजय कुमार कानि. के फोन पर मिस कॉल करने का किया। जिस पर श्री अजय कुमार कानि. द्वारा उक्त ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक एवं हमराहियान को अवगत कराया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान तेज-तेज कदमों से चलते हुए पटवार मण्डल सवीना के अन्दर प्रवेश किया तो पटवार मण्डल के अन्दर प्रवेश होने पर बायीं ओर कार्यालय में टेबल की मुख्य शीट पर एक महिला एवं उसके पास एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा इस महिला एवं व्यक्ति को स्वयं एवं हमराहियानों का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया जाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही महिला का उसका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्रीमती अभिलाषा जैन पत्नि श्री धीरज भण्डारी निवासी फलेट नं. 804, 8वीं मंजील आर्बिट कोम्प्लेक्स, न्यू भूपालपुरा थाना सुखेर जिला उदयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल सवीना होना बताया जाकर अपने पास बैठे व्यक्ति का परिचय देकर बताया कि यह धीरज भण्डारी मेरे पति हैं और किसी आवश्यक कार्य से यहां आये हुए हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपिया पटवारी का परिवादी श्री दीपक लौहार से ग्रहण की गई रिश्वती राशि 5000 रूपये के बारे में पूछा गया तो उपस्थितिन के समक्ष ही आरोपिया पटवारी ने रिश्वती राशि अपने बायें हाथ में होना बताया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपिया पटवारी अभिलाषा जैन को परिवादी से ग्रहण की गई 5000 रिश्वती राशि के संबंध में पूछा गया तो आरोपिया कुछ नहीं बोल गर्दन निचे कर चुप हो गई। जिस पर पास में ही खडे परिवादी श्री दीपक लौहार ने उपस्थितिन के समक्ष ही बताया कि साहब पटवारी जी ने मेरे पारिवारिक विवादित भूमि का पर्चा मौका बनाने की एवज में मुझसे 20,000 रूपये की मांग की जाकर दिनांक 15-11-22 को मैंरे द्वारा काफी निवेदन करने पर 10,000 रूपये रिश्वती राशि लेने को राजी होकर इसी दिन मेरे से रिश्वती राशि 5,000 रूपये ले लिये एवं शेष 5,000 रूपये रिश्वती राशि अभी अभी मांग कर ग्रहण किये जो इनके बायें हाथ हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपिया को उसी अवस्था में बैठे रहने की हिदायत दी जाकर स्वतंत्र गवाह श्री ललित सिंह गौड से आरोपिया के बायें हाथ में रिश्वत राशि लेकर गिनने हेतु कहा गया तो स्वतंत्र गवाह द्वारा रूपये लेकर गिने तो उसमें 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये होना बताने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बरों का मिलान हु ब हु हुआ। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा निजी वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स श्री विकास कुमार कानि. से मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कॉच के गिलास में पटवार मण्डल में रखे मटके से साफ पानी भरवाया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री अमरदीप नागदा से इस गिलास में ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कोर्बोनेट पाउडर की शिशी निकलवाई जाकर उसमें से एक चम्मच साफ पानी से भरे कॉच के गिलास में डलवा कर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा । उक्त रंगहीन घोल में आरोपिया पटवारी श्रीमती अभिलाषा जैन का बायां हाथ जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई, हाथ के अंगुठे एवं अंगुलियों को डूबोकर धुलाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ट्रेप बॉक्स में रखी दो कॉच की साफ शिशियां निकलाई जाकर उनमें उक्त गुलाबी घोल को आधा-आधा भरवाया जाकर शिशियों को सिलचिट बन्द करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा

स्वतंत्र गवाह श्री ललित सिंह गौड के पास सुरक्षित रखवाई बरामद शुदा रिश्वती राशि को श्री विकास कुमार कानि. से कागज की चिट लगा सिलबन्द की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो ली गई। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपिया पटवारी से परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज चाहे गये तो टेबल पर रखे दस्तावेज प्रस्तुत किये जिन्हें मूल ही प्राप्त किये जिनका अवलोकन किया गया तो पाया गया कि परिवादी श्री दीपक लौहार की माता जी श्रीमती नर्बदा देवी लौहार की निर्माण रोकने एवं उचित कार्यवाही करने की शिकायत तहसीलदार गिर्वा से जरिये डिस्पेच 371 दिनांक 20-9-22 पटवारी हल्का सवीना पर रिपार्ट कर 5 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जिसके संलग्न न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर का स्थगन आदेश एवं जमाबन्दी की प्रति एवं निर्माणाधीन मकान के फोटो संलग्न है एवं आरोपिया पटवारी द्वारा मुर्तिब मौका पर्चा मौजा सविना संलग्न हैं। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपिया के हेण्डबेग की तलाशी महिला कानि. रेणूका से करवाई गई तो कोई आपत्ति जनक वस्तुयें नहीं पाई गई। आरोपिया का हेण्डबेग स्वतंत्र गवाह के समक्ष उपस्थित आरोपिया के पति श्री धीरज भण्डारी को सम्भलाया गया। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा संलग्न पत्रावली की गई एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री दिपक लौहार एवं स्तवंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण घटनास्थल पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा संलग्न पत्रावली किया गया एवं आरोपिया के सकूनत की खाना तलाशी ली जाना आवश्यक होने से उच्चाधिकरियों को हालात निवेदन किये गये। समय 1.30 पीएम चुंकी मौके पर अब और कार्यवाही शेष नहीं हैं अतः मन् पुलिस उप अधीक्षक मय उपरोक्त हमराहियान एवं जब्त शुदा आर्टिकल मय आरोपिया अभिलाषा जैन एवं पटवार मण्डल की चाबी के पटवार मण्डल सवीना से ब्यूरो इकाई के लिये रवाना हुए। समय 2.10 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आज दिनांक को परिवादी के मोबाईल नं. 7014716282 एवं आरोपिया पटवारी के मोबाईल नं. 9414295347 पर हुई वार्ता समय करीबन 11.43 एएम एवं परिवादी एवं आरोपिया के आमने सामने वक्त लेन-देन वार्ता समय करीब 12.15 पीएम पर हुई वार्ता जिन्हें प्रकियानुसार डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई है। उक्त डिजीटल टेप रिकार्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह के समक्ष श्री विकास कुमार कानि. से लेप-टोप से कनेक्ट करा वार्ताओं की पृथक-पृथक फर्द ट्रान्सक्रिप्टें तैयार करवा संबंधितों के हस्ताक्षर करवा संलग्न पत्रावली की गई एवं श्री विकास कुमार कानि. से ही उक्त वार्ता की पृथक-पृथक मूल एवं डब सिडियां बनाई जाकर सिडियों को सिडी कवर में सिलचिट करवा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री विकास कुमार कानि. से ही डिजीटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड जिसमें उपरोक्त वार्तायें रिकार्ड हैं को निकाल कर को कवर में रख कर सिलचिट बन्द करवा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही आरोपिया श्रीमती अभिलाषा जैन को अपनी बचाव में जवाब प्रस्तुत करने एवं अपनी आवाज का नमूना देने हेतु तहरीरे कमांक 304 व 307 दिनांक 18-11-2022 प्रस्तुत की गई तो आरोपिया श्रीमती अभिलाषा जैन द्वारा इन्ही तहरीरों पर मैं अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहती हूं एवं अपने बचाव में जो भी जवाब प्रस्तुत करना होगा वह बाद में प्रस्तुत कर दूंगी तहरीरे संलग्न पत्रावली की गई। समय 4.35 पीएम पर श्री सुरेश नाहर नायब तहसीलदार गिर्वा तलब शुदा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया जिन्हें परिवादी से संबंधित मूल दस्तोवज सम्भालाये जाकर प्रमाणित प्रति पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर करवा संलग्न पत्रावली की गई एवं श्री सुरेश नाहर नायब तहसीलदार को पटवार मण्डल सवीना की चाबी सुपुर्द कर रसीद प्राप्त संलग्न पत्रावली की गई। अब तक की कार्यवाही से श्रीमती अभिलाषा जैन पटवारी पटवार मण्डल सवीना जिला उदयपुर के विरूद्ध जूर्म धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 प्रमाणित होने से बाद आगाही जूर्म के समय 4.50 पीएम पर गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफतारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा संलग्न पत्रावली की गई एवं आरोपिया का स्वास्थ्य परीक्षण करा रात्रि को सुरक्षार्थ पुलिस थाना भुपालपुरा में रखवाया गया । मामले हाजा में जब्त शुदा आर्टिकल मालखाना में श्री विकास कुमार कानि. से मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करा सुरक्षित रखवा गया एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को रूखसत दी गई। दिनांक 19-11-22 को आरोपिया श्रीमती अभिलाषा पटवारी को थाना भुपालपुरा से प्राप्त कर जे.सी. रिमाण्ड पृथक से मुर्तिब कर पत्रावली पर लिया जाकर

आरोपिया को माननीय एसीबी न्यायालय उदयपुर में पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया का जे.सी. रिमाण्ड स्वीकृत करने से आरोपिया को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करा जमा रसीद प्राप्त की जाकर संलग्न पत्रावली किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपिया श्रीमती अभिलाषा जैन पत्नि श्री धीरज भण्डारी उम्र 44 साल निवासी 804, आठवीं मंजील आर्बिट कोम्प्लेक्स, न्यू भुपालपुरा हाल पटवारी पटवार मण्डल सविना जिला उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर तहसील कार्यालय से परिवादी श्री दीपक लौहार की माता की विवादित भूमि का मौका पर्चा रिपोर्ट बनाने की एवंज में दिनांक 9–11–22 को 20,000 रूपये रिश्वत की मांग कर दिनांक 15–11–22 को वक्त मांग सत्यापन वार्ता परिवादी के निवेदन पर 10,000 रूपये लेने के लिये राजी होना एवं 5,000 रूपये इसी दिनांक को प्राप्त करना एवं शेष रिश्वती राशि 5,000 रूपये दिनांक 18–11–2022 को ग्रहण करते हुए रंगे हाथो पकडा जाकर गिरफतार किया गया एवं रिश्वती राशि आरोपिया के बायें हाथ से मौके से बरामद किया जाना आरोपिया श्रीमती अभिलाषा जैन पटवारी पटवार मण्डल सविना जिला उदयपुर के विरूद्ध जूर्म धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 प्रमाणित हैं।

अतः आरोपिया श्रीमती अभिलाषा जैन पत्नी श्री धीरज भण्डारी उम्र 44 साल निवासी 804, आठवीं मंजील आर्बिट कोम्प्लेक्स, न्यू भुपालपुरा हाल पटवारी पटवार मण्डल सविना जिला उदयपुर केविरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांक हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

दिनेश सुखवाल
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
इन्टे0 उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दिनेश सुखवाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्र.नि. ब्यूरो (इन्टें.) उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती अभिलाषा जैन, पटवारी, पटवार मण्डल सविना, जिला उदयपुर के विरूद्ध गठित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 446/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19-11-22

(डॉ. विष्णु कान्त)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3860-63 दिनांक 19.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश वं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (ईन्टें) उदयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।